

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 525/2025

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बनवास, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333504

— प्रार्थी

बनाम

स्व० श्री रामस्वरूप सिंह के सभी कानूनी उत्तराधिकारी

1. श्रीमती कविता सैनी पत्नि स्व० श्री रामरुवरूप सिंह (स्व० श्री रामस्वरूप सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी) वार्ड नं० 12, बनवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333504
2. रिया सैनी पुत्री स्व० श्री रामरुवरूप सिंह (स्व० श्री रामस्वरूप सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी) वार्ड नं० 12, बनवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333504
3. जिया सैनी पुत्री स्व० श्री रामरुवरूप सिंह (स्व० श्री रामस्वरूप सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी) वार्ड नं० 12, बनवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333504
4. श्री प्रणव सैनी पुत्र स्व० श्री रामरुवरूप सिंह (स्व० श्री रामस्वरूप सिंह की प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारी) वार्ड नं० 12, बनवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333504

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात् "एक्ट" से संबोधित किया गया है, बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा:- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.12.2025

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को बडौदा ऑटो लोन खाता सं० 47760600001466 में रुपये 5.00 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 23.01.2023 को उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री रामस्वरूप सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह के कार लोन खाता सं० 47760600001466 में ब्रेजा स्मार्ट हाईब्रिड (एलएक्सआई) रजिस्ट्रेशन नं० आरजे 18 सीई 4731, इंजिन नं० के15सीएन9168184, चेचिस नं० एमए3आरवाईएचएल1एसपीए186275 को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 08.02.2025 को एन०पी०ए० घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 5,62,108.16/- दिनांक 31.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 08.02.2025 को एन०पी०ए० घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 10.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि 5,62,108.16/- दिनांक 31.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था, परन्तु ऋणी व जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से

जिला कलक्टर झुंझुनूं


विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्वोरिटीज का विवरण:- श्री रामस्वरूप सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह के कार लोन खाता सं0 47760600001466 मे ब्रेजा स्मार्ट हाईब्रिड (एलएक्सआई) रजिस्ट्रेशन नं0 आरजे 18 सीई 4731, इंजिन नं0 के15सीएन9168184, चेचिस नं0 एमए3आरवाईएचएल1एसपीए186275 है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अंतरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी म्नाते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री रामस्वरूप सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह के कार लोन खाता सं0 47760600001466 मे ब्रेजा स्मार्ट हाईब्रिड (एलएक्सआई) रजिस्ट्रेशन नं0 आरजे 18 सीई 4731, इंजिन नं0 के15सीएन9168184, चेचिस नं0 एमए3आरवाईएचएल1एसपीए186275 का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू